

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर

(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक : एफ 40(88)ग्रावि/नरेगा/गौरव पथ/पार्ट-2/2017/Eo-124147

जयपुर, दिनांक :

27 JAN 2017

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषय:- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जा रहे गौरव पथ के दोनों ओर नाली निर्माण का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत करवाने बाबत।

प्रसंग:- समसंख्यक पत्र दि.14.08.2015 एवं माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा जिला कलक्टर कान्फ्रेंस दिनांक 24-27 नवम्बर, 2016 को दिये गये निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा जिला कलक्टर कान्फ्रेंस दिनांक 24-27 नवम्बर, 2016 में निर्देश दिये गये हैं कि ग्रामीण गौरव पथ कार्यों को महात्मा गांधी नरेगा की राशि से डेवटेल किया जावे। प्रासंगिक पत्र द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहे गौरव पथ के दोनों ओर नाली निर्माण का कार्य महात्मा गांधी नरेगा से अथवा अन्य योजनाओं से कन्वर्जेंस कर नियमानुसार स्वीकृतियाँ जारी करवाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम में पक्की आन्तरिक सड़कें या गलियाँ एवं उन पर नालियों का निर्माण अनुमत है। भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 24.04.2012 (प्रति संलग्न) द्वारा योजनान्तर्गत गांवों की आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई अधिकतम 3.00 मीटर रखे जाने के निर्देश हैं, इनकी पालना में विभागीय पत्र दिनांक 04.05.2012 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देश जारी किये हुए हैं। योजनान्तर्गत 60:40 श्रम सामग्री का अनुपात जिला स्तर पर संधारित किया जाना होता है।

अतः अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा से अथवा अन्य योजनाओं से कन्वर्जेंस कर नियमानुसार स्वीकृतियाँ जारी कर उक्त कार्य सम्पादित कराए जा सकते हैं।

अतः तदनुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(देबाशीष पृष्ठी)

आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. मुख्य अभियंता, पथ/स्पेशल स्कीम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेकब रोड, जयपुर।
7. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।/ ✓

परि. निदे. एवं पदेन संयुक्त सचिव, ईजीएस

